

न्यायालय अंचल अधिकारी कुन्दा।

संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं0-09/2017-18

राज्य बनाम जितेन्द्र साव

क्रमांक एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर : गई कार्रवा के बारे में दिल्ली तारी ख सहित
1	2	3
21.11.25	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>प्रस्तुत वाद का संधारण भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चतरा के पत्रांक 273/रा०, दिनांक-09.11.2020 से प्राप्त अभिलेख में दिनांक 14.10.2020 को पारित आदेश के आलोक में दिया गया है। पूर्व के अंचल अधिकारी द्वारा राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से प्रतिवेदन प्राप्त कर द्वितीय पक्ष के नाम से चल रही जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा के साथ अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चतरा को एवं अतिक्रमण मुक्त करने हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा को दिनांक-21.08.2017 को भेजा गया। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चतरा द्वारा प्रतिवादी की सुनवाई करते हुए दिनांक 14.10.2020 को आदेश पारित किया गया। पारित आदेश निम्नवत है-</p> <p>उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विधि सम्मत/न्याय संगत सुनवाई करते हुए अंचल अधिकारी को ही आदेश पारित करना है। अतः अंचल अधिकारी कुन्दा को अग्रेतर कार्रवाई हेतु संबंधित अभिलेख भेजें।</p> <p>अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रतिवादी को पुनः नोटिश निर्गत कर सुनवाई की गई।</p> <p>द्वितीय पक्ष द्वारा अपने लिखित जवाब में, उल्लेखित किया है कि प्रश्नगत भूमि गैरमजरुआ खास भूतपूर्व जमींदार राजबल्लभ नाथ सिंह के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है। प्रतिवादी के फुआ सुखिया कुमारी को भूतपूर्व जमींदार राजबल्लभ नाथ सिंह से हुकुमनामा से प्राप्त है। आगे उल्लेखित किया गया है कि मौजा कुन्दा की खाता सं0 111 प्लॉट सं0 777 रकवा 0.76 ए0 भूमि भूतपूर्व जमींदार से हुकुमनामा द्वारा सुखिया कुमारी को प्राप्त है। जमींदारी उन्मुलन के पश्चात सुखिया कुमारी के नाम जमाबंदी कायम कर सरकारी रसीद निर्गत की गई। पारिवारिक बैंटवारे में यह भूमि प्रतिवादीगण को प्राप्त हुआ। प्रश्नगत भूमि पर कार्रवाई कर रहे हैं। अंचल अधिकारी कुन्दा द्वारा भूमि अतिक्रमण का नोटिश निर्गत किया गया है। यह मामला अतिक्रमण का नहीं बनता है चूंकि प्रतिवादी का दखल कब्जा है।</p> <p>प्रतिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित कागजात दिए गए हैं:-</p>	

1. हुकुमनामा की छायाप्रति जो अप्रैल 1954 को 3.71 ए0 भूमि का निर्गत किया गया है।
2. दुसरा हुकुमनामा का भी छायाप्रति दाखिल किया गया है जो 20.04.1943 को 5.39 ए0 का निर्गत किया गया है।
3. वर्ष—1957, 1963, 1971, 1973, 1975, 1984, 1986, 1988, 1989, 1990, 1996, 1997, एवं 2011 में निर्गत सरकारी मालगुजारी रसीद की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजात पूर्व के अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश विद्वान भूमि सुधार उपसमाहत्ता, न्यायालय चतरा के द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया। द्वितीय पक्ष द्वारा समर्पित कागजातों की छायाप्रति तथा राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में निम्नांकित तथ्य स्पष्ट होते हैं:—

प्रश्नगत भूमि मौजा कुन्दा के थाना नं0 0145 खाता सं0 111 प्लॉट सं0 777 भूमि खतियान में गैरमजर्लआ खास खाते की है। राजस्व उप. निरीक्षक/अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन द्वारा मापी के उपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि सैरात पंजी में दर्ज है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि नव निर्मित प्रखण्ड कार्यालय परिसर के समीप है। द्वितीय पक्ष द्वारा दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी के पूर्वज को भूमि हुकुमनामा से प्राप्त है। पारिवारिक बंटवारे में प्रश्नगत भूमि प्र. तिवादीगण को 0.76 ए0 प्राप्त है। जमाबंदी कायम है, परन्तु उक्त जमाबंदी से लगातार सरकारी रसीद निर्गत नहीं किये गये हैं। प्रतिवादी रिट्टन की छायाप्रति दाखिल करने में असमर्थ रहे। जमाबंदी किस पदाधिकारी के आदेश से कायम की गई है से संबंधित कोई भी साक्ष्य प्रतिवादी द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि प्रखण्ड कार्यालय के समीप है। एक हुकुमनामा निर्गत की तिथि 1954 है जबकि 01.01.1946 के पूर्व का निबंधित हुकुमनामा मान्य है। एक अन्य हुकुमनामा प्रस्तुत किया गया है जो 1943 में निर्गत है। उक्त दोनो हुकुमनामा से खाता सं0 111 प्लॉट सं0 777 रकवा 0.76 ए0 की भूमि प्राप्त की गई है जो संदेहात्मक प्रतीत होता है। पूर्व के अंचल अधिकारी द्वारा इनलोगों की जमाबंदी रद्द करने एवं अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु भूमि सुधार उपसमाहत्ता, चतरा/अनुभण्डल पदाधिकारी, चतरा को भेजने का आदेश पारित किया गया है। अंचल अमीन के प्रतिवेदनानुसार प्रतिवादीगण 1.30 ए0 खाली भूमि का अपने भूमि बताकर दखल कब्जा किये हुये हैं, परन्तु प्रतिवादी अपने लिखित बयान में 0.76 ए0 भूमि का ही राजस्व कागजात प्रस्तुत करदावा करते हैं। इस प्रकार 0.54 ए0 भूमि पूर्णतः सरकारी है। तथा शेष 0.76 ए0 भूमि की जमाबंदी भी संदेहात्मक है।